उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड, लखनऊ के कार्यकारी समिति की द्वितीय बैठक दिनॉक 21.09.2016 का कार्यवृत्त

बैठक का स्थान : मुख्य सचिव सभागार, श्री लाल बहादुर शास्त्री भवन (सचिवालय एनेक्सी) लखनऊ।

समय : पूर्वान्ह 11.30 बजे से 12.15 तक

उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड के कार्यकारी समिति की द्वितीय बैठक मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बोर्ड की बैठक में उपस्थित सदस्यों तथा विशेष आमंत्री अधिकारियों की सूची संलग्न है।

2.0 अध्यक्ष की अनुमति से सदस्य संयोजक द्वारा बोर्ड की अब तक की कार्यवाही/प्रगति से निम्नानुसार अवगत कराया गया :–

एजेण्डा संख्या–01

बोर्ड की पूर्व बैठक दिनॉक 11.05.2016 में लिये गये निर्णयों का अनुपालन।

2.1 उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड के कार्यो के प्रभावी एवं समयबद्ध निष्पादन हेतु आवश्यक न्यूनतम पदों की स्वीकृति की कार्यवाही प्रचलित है जिसे शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जायेगा

2.2 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा **"जैव ऊर्जा उत्पादन कार्यक्रम"** को उद्योगों की सूची में सम्मिलित करने विषयक लम्बित प्रस्ताव के क्रम में मुख्य सचिव द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के उपस्थित अधिकारी को 15 दिन के अन्दर कार्यवाही कर उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड को अवगत कराने के निर्देश दिये गये।

उक्त के अतिरिक्त प्रथम बैठक के शेष अन्य बिन्दुओं पर बोर्ड द्वारा कार्यवाही की जा चुकी है जिसकी प्रगति से सदस्य संयोजक द्वारा अध्यक्ष को अवगत कराया गया तथा कार्यकारी समिति के सदस्यों ने इस पर अपनी पूर्ण सहमति प्रदान की।

एजेण्डा संख्या–2

यू0पी0 यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइसेंज सैफई, इटावा के कैम्पस में उपलब्ध समस्त बायोडिग्रेडेबुल अपशिष्टों के वैज्ञानिक तरीके से सुरक्षित एवं समयबद्ध डिस्पोजल हेतु विश्वविद्यालय के सहयोग से पाइलट इकाई की स्थापना।

सदस्य संयोजक द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में विभिन्न अस्तपतालों में बायो मेडिकल वेस्ट को सेग्रीगेट कर इन्सीनरेटर के माध्यम से जला दिया जाता है। इससे निकलने वाली हानिकारक गैसों के दूरगामी परिणाम काफी घातक होते हैं। इन घातक परिणामों से बचने के लिये इसका अद्यतन वैज्ञानिक तरीके से सुनियोजित प्रबन्धन अति आवश्यक है। इस सम्बन्ध में मा0 उपाध्यक्ष, राज्य योजना आयोग, उ0प्र0 को सम्बोधित संदर्भ पर **"विकास हेतु तकनीकी अनुशंसक समिति, नियोजन विभाग"** के समक्ष एक विस्तृत पॉवर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण अपशिष्ट प्रबन्धन कार्यक्रमों में अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विशेषज्ञों द्वारा किया गया था। बैक्टिरिया आधारित यह तकनीकी 24 घण्टे अन्तराल में ही समस्त प्रकार के खतरनाक बायो मेडिकल वेस्ट का सुरक्षित अपघटन कर उच्च गुणवत्ता के आर्गेनिक मैन्योर में परिवर्तित कर देता है। इस मैन्योर का खेती/औद्यानिकी में उपयोग करने के साथ–साथ इसको बायोकोल उत्पादन में भी सीधा उपयोग में लाया जा सकता है। प्रस्ताविक तकनीकी प्रोप्राराइटरी प्रकृति की है तथा 200 किलोग्राम क्षमता के पायलट संयंत्र की लागत लगभग 82 लाख रूपये अनुमानित है।

इस प्रकार के संयंत्र की पायलट आधार पर स्थापना **यू0पी0 यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइसेंज सैफई, इटावा** के कैम्पस में किये जाने का प्रस्ताव बोर्ड को संस्थान के कुलपति द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सदस्य संयोजक द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव में मुख्य सचिव द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग के उपस्थित अधिकारी को निर्देशित किया गया कि बोर्ड का उक्त प्रस्ताव करने योग्य है तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग इस हेतु वर्तमान सत्र में उपलब्ध अपने बजट से 115 लाख की धनराशि उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड को शीघ्र स्थानांतरित करेगा। तत्क्रम में इसका कियान्वयन उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड द्वारा समयबद्ध तरीके से बजट उपलब्ध होने के एक माह के अन्दर सुनिश्चित किया जायेगा। इकाई स्थापना सम्बन्धित उक्त कार्य बोर्ड द्वारा गठित तीन सदस्यीय तकनीकी समिति के देख–रेख में किया जायेगा।

(कार्यवाही : चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0 प्र0 शासन तथा उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड)

एजेण्डा संख्या–03

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार तथा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्राालय एवं नाबार्ड के समन्वय से नेशनल क्लीन इनर्जी फण्ड तथा नेशनल एडापटेशन फण्ड का सहयोग प्राप्त कर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त तकनीकी का उपयोग करते हुए प्रदेश में सेकेण्ड जनरेशन बायो एथेनाल उत्पादन इकाईयों की स्थापना करना तथा जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में सहयोगी अन्य उत्पादक कार्यक्रमों को कियान्वित करना।

सदस्य संयोजक द्वारा सेकेण्ड जनरेशन सैलूलोज को बायोमास उत्पादन विषयक तकनीकी विवरण उपस्थित सदस्यों के समक्ष प्रस्तत किया गया। तत्क्रम में चीनी मिलों में उत्पादित गन्ना की खोई (वर्तमान में कोजनरेशन हेतु इसे जला दिया जाता है) का उपयोग कर इसे सेकेण्ड जनरेशन सैलूलोजिक बायोमास के रूप में उपयोग करते हुये बायो एथेनाल उत्पादन संयंत्र की स्थापना की जायेगी। इससे जहॉ एक ओर चीनी मिलों में उपलब्ध खोई का बहुपयोगी वैज्ञानिक निस्तारण होगा वहीं इससे उत्पादित बायो एथेनाल को पेट्रोलियम में ब्लैण्ड करने हेतु राष्ट्रीय मांग की पूर्ति में उपयोग में लाया जायेगा। इस हेतु आवश्यक तकनीकी प्रोप्राराइटरी प्रकृति की है। अतः सम्बन्धित तकनीकी प्रदाता कम्पनी/इसकी सहयोगी कम्पनी के साथ एस0पी0वी0 बनाकर यह कार्य किये जाने का प्रस्ताव है। इससे सम्बन्धित तकनीकी प्रदाता का भविष्य में भी बायो एथेनाल उत्पादन इकाई से सीधा सम्पर्क बना रहेगा तथा आवश्यकतानुसार इस तकनीकी का विस्तार पूरे प्रदेश के समस्त गन्ना उत्पादन क्षेत्र में, जहॉ आसवनी स्थापित है, में आसानी से किया जा सकेगा।

वर्तमान में भारत सरकार द्वारा घोषित 10 प्रतिशत बायो एथेनाल ब्लैण्ड के सापेक्ष पेट्रोल में मात्र 2.50 से 3.00 प्रतिशत बायो एथेनाल ही ब्लैण्ड हो पा रहा है। इस प्रयास से चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी तथा प्रदेश राष्ट्रीय परिवेश में ग्रीन इनर्जी उत्पादक के रूप में उभर कर आयेगा।

बैठक में उपस्थित प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल संघ ने अवगत कराया कि संघ के स्नेह नगर, बिजनौर में इस प्रकार की इकाई स्थापना हेतु समस्त प्राथमिक आवश्यकतायें पूर्ण होने की स्थिति में इसे तत्काल लगाये जाने पर विचार किया जा सकता है। मुख्य सचिव द्वारा लागत तथा कियान्वयन प्रकिया के सम्बन्ध में पूछे जाने पर सदस्य संयोजक द्वारा अवगत कराया गया कि इस प्रकार की 40 किलो लीटर प्रतिदिन क्षमता की इकाई की अनुमानित लागत लगभग रू0 300 करोड़ है जिसमें से उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड तथा उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल संघ द्वारा संयुक्त रूप से 10 प्रतिशत का निवेश अंश पूंजी के रूप में, 40 प्रतिशत धनराशि **नेशनल क्लीन इनर्जी फण्ड/नेशनल**

एडापटेशन फण्ड/ग्रीन क्लाइमेट फण्ड तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि सम्बन्धित तकनीकी प्रदाता कम्पनी/उसकी सहयोगी कम्पनी से निवेश के रूप में प्रस्तावित है। सम्बन्धित उत्पाद (बायो एथेनाल) की बिक्री हेतु इण्डियन आयल कारपोरेशन भी एस0पी0वी0 में सम्मिलित होगा। यथा आवश्यकता भविष्य में इस प्रकार की अन्य इकाईयॉ भी स्थापित की जायेगीं। एस0पी0वी0 समझौता के समय आई0ओ0सी0एल0 भी अंश पूँजी निवेश करेगा। आई0ओ0सी0एल0 बायो सी0एन0जी0 उत्पादन तथा बिक्री में भी सहयोग प्रदान करेगा। इससे सम्बन्धित इकाई की लाभप्रदता में भी वृद्धि होगी।

इसी क्रम में नाबार्ड के उप महाप्रबन्धक ने कहा कि नेशनल एडापटेशन फण्ड तथा ग्रीन क्लाइमेट फण्ड से संसाधन/अनुदान प्राप्त करने में नाबार्ड उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड को आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा। बायो एथेनाल उत्पादन संयंत्र की स्थापना हेतु बोर्ड, संघ, आई0ओ0सी0एल0 तथा सम्बन्धित कम्पनी की एक एस0पी0वी0 बनाकर यह कार्य किया जाना श्रेयस्कर होगा ताकि सभी पक्ष आपसी समझौते के अर्न्तगत परियोजना काल में पूर्णतः आबद्ध रहे तथा भविष्य में उक्त प्रस्तावित इकाई का संचालन आसानी से होता रहे। तत्क्रम में मुख्य सचिव द्वारा इस दिशा में कार्यवाही के निर्देश प्रदान किये गये।

(कार्यवाही : उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल संघ, नाबार्ड, उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड तथा आई0ओ0सी0 एल0)

एजेण्डा संख्या–04

मिनी मिशन आन ऑयल सीड्स–III, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत करना।

सदस्य संयोजक द्वारा अवगत कराया गया कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित मिनी मिशन आन ऑयल सीड्स–III के अर्न्तगत हमीरपुर जनपद स्थित कृषि तथा औद्यानिकी हेतु पूर्णतः अनुपयुक्त शासकीय भूमि/ग्राम पंचायत की भूमि/किसानों की व्यक्तिगत भूमि के 4 हजार हे0 रकबे पर आगामी 2017–18 सत्र में नीम के 4,80,000, महुआ के 1,60,000, करंज के 4,00,000, सीमारूबा के 4,00,000 तथा जट्रोफा के 10,00,000 पौधों का रोपण किया जायेगा। पौध रोपण की कुल अनुमानित लागत रू0 9.56 करोड़ तथा प्रथम वर्ष की अनुरक्षण लागत रू0 84.80 लाख है। इसके कियान्वयन से क्षेत्र में हरियाली के साथ–साथ बीज संग्रहण के माध्यम से सीजनल रोजगार के अवसर भी सृजित होने का मार्ग प्रशस्त होगा। यहॉ यह भी सन्दर्भित करना आवश्यक है कि उक्त समस्त पौधे भारत सरकार द्वारा बायोडीजल उत्पादन हेतु अनुमन्य पौधों की श्रेणी में है तथा इसके अधिक से अधिक रोपण हेतु भारत सरकार राज्यों के सम्बन्धित विभागों/बोर्ड/संस्थानों को इस हेतु शतप्रतिशत वित्तीय सहयोग प्रदान करती है। इसके

वृक्षारोपण से प्रदेश की राज्य ऊर्जा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन में भी सहयोग प्राप्त होगा। कार्य के महत्व को देखते हुये मुख्य सचिव ने बोर्ड तथा कृषि विभाग दोनों को सम्बन्धित कार्यवाही के निर्देश प्रदान किये।

(कार्यवाही : उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड तथा कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन)

एजेण्डा संख्या–05

नमामि गंगे परियोजना, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार को कौशाम्बी जनपद में गंगा नदी के किनारे स्थित ग्राम पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन कर खाना पकाने हेतु ग्रीन गैस उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये बी0ई0एम0सी0 मॉडल बायोगैस इकाईयों की स्थापना हेतु परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करना।

सदस्य संयोजक ने अवगत कराया कि ओपन डर्ट फ्री कान्सेप्ट पर आधारित स्वच्छता कार्यक्रम के संचालन के क्रम में जिला प्रशासन, कौशाम्बी द्वारा गंगा के किनारे के 33 ग्राम पंचायतों तथा यमुना के किनारे के 37 ग्राम पंचायतों तथा ठोस जैव अपशिष्टों के वैज्ञानिक प्रबन्धन पर आधारित बी0इ0एम0सी0 मॉडल बायोगैस इकाईयों की स्थापना विषयक प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिला प्रशासन ने यह भी अवगत कराया है कि इस प्रकार की इकाईयॉ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के ठोस एवं द्रव अपशिष्ट प्रबन्धन मद में जनपद की कुछ ग्राम पंचायतों में राज्य सरकार द्वारा दिये गये नीतिगत निर्देशों के क्रम में स्थापित करायी गयी है जिसके परिणाम काफी सार्थक रहे है। इससे सम्बन्धित लाभार्थियों के घरों के आस–पास सम्पूर्ण स्वच्छता के वातावरण के साथ–साथ खाना पकाने एवं प्रकाश हेतु ग्रीन गैस तथा उच्च गुणवत्ता की आर्गेनिक मैन्योर निःशुल्क प्राप्त हो जाता है। नमामि गंगे परियोजना तथा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय की अलग–अलग टीमों द्वारा जिला प्रशासन के इस प्रयास को देखा गया तथा इसे काफी सराहा गया। इसी आलोक में जिला प्रशासन ने उक्त प्रस्ताव उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड को इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया है कि इसे नमामि गंगे परियोजना, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार को आवश्यक कार्यवाही/वित्तीय सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित कर दिया जाये। तत्क्रम में मुख्य सचिव ने परियोजना के महत्व एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु जिला प्रशासन द्वारा किये गये प्रयासों की निरन्तरता बनाये रखने के उद्देश्य से इसे तत्काल मंत्रालय को प्रेषित करने के निर्देश उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड को प्रदान किये। भारत सरकार द्वारा स्वीकृति के उपरान्त परियोजना का क्रियान्वयन उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड के तकनीकी सहयोग एवं जिला प्रशासन के समन्वय से क्रियान्वित किया जायेगा।

(कार्यवाही : उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड तथा जिला प्रशासन, कौशाम्बी)

एजेण्डा संख्या–06

यू0एस0ए0आई0डी0 तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त तत्वाधान में स्थापित किये जाने वाले ऑफ ग्रिड वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु प्रस्ताव तैयार करने एवं समय सीमा के अन्दर मंत्रालय को प्रस्तुत करना।

सदस्य संयोजक द्वारा अवगत कराया गया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यू0एस0ए0आई0डी0 के सहयोग से स्थापित पेससेटर फण्ड की स्थापना की गयी है। इस फण्ड से जैव अपशिष्टों पर आधारित ऑफग्रिड विद्युत उत्पादन संयंत्रों की एक मेगावाट तक की इकाई स्थापित किये जाने की व्यवस्था है। तत्क्रम में जिलाधिकारी, बुलन्दशहर ने उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड को बुलन्दशहर नगरीय क्षेत्र में स्थापित डेयरियों के गोबर तथा मण्डी परिषद की सब्जी मण्डियों के जैव अपशिष्टों के वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण करते हुये बायो सी0एन0जी0/विद्युत उत्पादन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। संबंधित इकाईयों की स्थापना हेतु जिला प्रशासन द्वारा नगर निगम के गाटा संख्या 103 पर 0.5620 हे0 भूमि आवंटित भी कर दी गयी है। सम्बन्धित प्रस्ताव मंत्रालय को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 12.10.2016 है। तत्क्रम में मुख्य सचिव ने उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड को निर्देशित किया कि प्रस्ताव तैयार कर बोर्ड स्तर से सीधे मंत्रालय को प्रेषित करें। मंत्रालय से स्वीकृति के उपरांत जिला प्रशासन के सहयोग से समयबद्ध तरीके से बोर्ड द्वारा इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित भी किया जाये।

(कार्यवाही : जिला प्रशासन, बुलन्दशहर तथा उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड)

एजेण्डा संख्या–07

बोर्ड की परियोजनाओं के संचालन में विशेषज्ञता प्रदान करने हेतु लब्ध्द प्रतिष्ठित विषय वस्तु विशेषज्ञों, कार्यक्रम से जुड़े प्रगतिशील किसानों तथा जैव ऊर्जा परियोजना के क्रियान्वयन हेतु बोर्ड द्वारा प्रशिक्षित स्वरोजगारी युवाओं का पैनल तैयार करना।

सदस्य संयोजक द्वारा प्रस्ताव दिया गया कि बोर्ड की परियोजनाओं के प्रभावी एवं समयबद्ध संचालन हेतु विशेषज्ञों का पैनल, जैव ऊर्जा सेक्टर से जुड़े युवा उद्यमियों का पैनल एवं बोर्ड में जैव ऊर्जा विकास कार्यक्रमों को मूर्त रूप प्रदान करने में लगे अग्रणी किसानों का अलग–अलग पैनल तैयार करना परियोजना की निरन्तरता को बनाये रखने हेतु आवश्यक प्रतीत हो रहा है। बोर्ड द्वारा समिति के समक्ष एक विशेषज्ञ पैनल प्रस्तुत किया गया था जिसे अनुमोदित किया। भविष्य में यथा आवश्यकता नये विशेषज्ञों के पैनल सम्मिलित करने पर भी बैठक में सहमति व्यक्त की गयी। समय–समय पर उक्त

विशेषज्ञों/युवा उद्यमियों/अग्रणी किसानों की बैठक यथा आवश्यकता बोर्ड मुख्यालय पर बुलाई जायेगी। आवश्यकतानुसार यह बैठक क्षेत्रीय उपयोगिता को देखते हुये मण्डल अथवा जिला मुख्यालय स्तर पर भी बुलाई जा सकती है। इस बैठक में बुलाये जाने की स्थिति में विशेषज्ञों/युवा उद्यमियों/अग्रणी किसानों को आवश्यकतानुसार आने–जाने का रेल यात्रा व्यय (मान्य श्रेणी) तथा मानदेय भी बोर्ड द्वारा दिया जायेगा। सदस्य संयोजक द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव पर मुख्य सचिव ने अपनी पूर्ण सहमति प्रदान की।

(कार्यवाही : उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड)

एजेण्डा संख्या–08

बायोगैस डवलपमेण्ट ट्रेनिंग सेन्टर (बी0डी0टी0सी0) की पुनर्स्थापना।

सदस्य संयोजक ने अवगत कराया कि चक गंजरिया सिटी की स्थापना के क्रम में वहॉ पूर्व में स्थापित पशुधन फार्म के परिसर में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से स्थापित प्रदेश का **"बायोगैस डवलपमेण्ट ट्रेनिंग सेन्टर"** विस्थापित कर दिया गया था। विस्थापन के उपरान्त यह केन्द्र आई0आई0टी0, नई दिल्ली में स्थापित ग्रामीण प्रौद्योगीकी विकास केन्द्र से सम्बद्ध कर दिया गया है। इससे प्रदेश के बायोगैस कार्यक्रम के इच्छुक किसानों/ग्रामीणों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश के वृहद स्वरूप एवं वर्तमान परिवेश में परियोजना की उपयोगिता को देखते हुए इस केन्द्र को पुनः उ0प्र0/लखनऊ में स्थापित किया जाना उचित होगा ताकि पूरे प्रदेश में प्रशिक्षण कार्यक्रम सघन रूप से संचालित किये जा सकें। अतः प्रस्ताव है कि उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड द्वारा संचालित ठोस एवं द्रव अपशिष्ट प्रबन्धन शोध एवं विकास केन्द, मुल्लाहीखेड़ा, विकासखण्ड सरोजनी नगर, जनपद लखनऊ में ही बायोगैस डवलपमेण्ट ट्रेनिंग सेन्टर, उ0प्र0 स्थापित किया जाना व्यवहारिक एवं उपयोगी होगा। तत्क्रम में मुख्य सचिव ने परियोजना की उपयोगिता को देखते हुये इस हेतु आवश्यक प्रस्ताव नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार को भेजने के निर्देश दिये।

(कार्यवाही : उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड)

एजेण्डा संख्या–09

जैव ऊर्जा परियोजनाओं के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु राज्य सरकार सूचना तंत्र का उपयोग करने के सम्बन्ध में।

सदस्य संयोजक द्वारा अवगत कराया गया कि उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड द्वारा संचालित समस्त परियोजनायें प्रदेश की अर्थ व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, पर्यावरण संरक्षण तथा ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने एवं क्षेत्रीय स्तर पर रोजगार के अनगिनत अवसर

सृजित करने की पूर्ण क्षमतायुक्त है। इसमें जनसहभागिता को अधिक से अधिक बढ़ाने के उद्देश्य से राजकीय सूचना तंत्र के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार–प्रसार की अति आवश्यकता है। तत्क्रम में मुख्य सचिव ने जैव ऊर्जा परियोजनाओं के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु प्रमुख सचिव, सूचना एवं निदेशक, सूचना को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये। साथ ही बोर्ड को निर्देशित किया कि समय–समय पर परियोजनाओं की प्रगति से सम्बन्धित विवरण सूचना विभाग को प्रेषित करे ताकि इसके व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु यथा आवश्यकता डाक्यूमेण्ट/डाक्यूमेण्टरी फिल्म सूचना विभाग स्वयं की लागत पर तैयार कर इसका व्यापक प्रचार–प्रसार करे सके। इसके अतिरिक्त बोर्ड द्वारा समय–समय पर आवश्यक प्रेस विज्ञाप्तियॉ भी सूचना विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी जिसका प्रकाशन/प्रसारण सूचना विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(कार्यवाही : उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड, सूचना विभाग, उ0प्र0 शासन)

उपरोक्त विस्तृत परिचर्चा के क्रम में वन विभाग द्वारा प्रश्न किया गया कि जैव ऊर्जा उत्पादन कार्यक्रम में सम्मिलित बायोडीजल की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शासन द्वारा बायोडीजल के मानक निर्धारित होने के उपरांत ही बायोडीजल परियोजना का विस्तारीकरण होना चाहिये। इस क्रम में सदस्य संयोजक द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार के ब्यूरो आफ इण्डियन स्टैण्डर्ड द्वारा बी–100 (शतप्रतिशत बायोडीजल) का मानक स्थापित कर लिया गया है जो ब्यूरो की वेबसाइट पर उपलब्ध है। तत्क्रम में मुख्य सचिव द्वारा सम्बन्धित विवरण समस्त जिलाधिकारियों तथा मण्डलायुक्तों को प्रेषित कर तद्नुसार गुणवत्ता नियंत्रण सम्बन्धित आवश्यक कार्यवाही के निर्देश प्रदान दिये गये ताकि किसी भी स्तर पर उपभोक्ता को कोई क्षति न हो सके। साथ ही खाद्य रसद विभाग, उ0प्र0 शासन को निर्देशित किया गया कि वी0आई0एस0द्वारा बी–100 बायोडीजल के निर्धारित मानक के क्रम में ही जनपदों में बी–100 की बिक्री सुनिश्चित हो।

उपरोक्त विस्तृत चर्चा के उपरान्त धन्यवाद व्यक्त करते हुये मुख्य सचिव की अनुमति से बैठक की कार्यवाही समाप्त घोषित की गयी।

30.9.16.

(मुकुल सिंहल)
प्रमुख सचिव
नियोजन विभाग
उ0प्र0 शासन।

उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड,
नियोजन विभाग,
कक्ष संख्या–534, पॉचवा तल,
योजना भवन, लखनऊ।
संख्याः 88 /उ0प्र0रा0जै0ऊ0वि0बो0/2016
लखनऊः दिनांकः 30 सितम्बर, 2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निजी सचिव, मा0 उपाध्यक्ष, राज्य योजना आयोग, उ0प्र0, योजना भवन, लखनऊ को मा0 उपाध्यक्ष महोदय के अवगतार्थ/अवलोकनार्थ।
2– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0/अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड को मा0 अध्यक्ष महोदय के अवगतार्थ/अवलोकनार्थ।
3– निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त/उपाध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड को मा0 उपाध्यक्ष महोदय के अवगतार्थ/अवलोकनार्थ।
4– सचिव, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5– सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6– सचिव, भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
7– सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
8– सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
9– सचिव, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
10– सचिव, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
11– सचिव, ग्रामोद्योग, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
12– सचिव, वित्त (आर्थिक मामले) मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
13– प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन/सदस्य।
14– प्रमुख सचिव, वित्त विभाग एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0 शासन/सदस्य।
15– प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन/सदस्य।
16– प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र शासन/सदस्य।
17– प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन/सदस्य।
18– प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन/सदस्य
19– सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
20– विशेष आमंत्री अधिकारीगण।
21– नियोजन अनुभाग–1/वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–5/वित्त (लेखा) अनुभाग–1/वित्त (केन्द्रीय) सहायक अनुभाग–1
22– गार्ड फाईल।

30/9/16
(पी0एस0 ओझा)
सदस्य संयोजक,
उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड।

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 21.09.2016 को "उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड" के कार्यकारी समिति की द्वितीय बैठक में सम्मिलित सदस्यों/विशेष आमंत्री सदस्यों का उपस्थिति पत्रक।

क्रम सं0	अधिकारी का नाम	पद नाम	विभाग का नाम
1-	श्री मुकुल सिंघल	प्रमुख सचिव	नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन
2-	श्री राकेश कुमार सिंह	विशेष सचिव	स्टाफ आफिसर कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन
3-	श्री सरयू प्रसाद मिश्र	विशेष सचिव	वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन
4-	श्री जी0पी0 त्रिपाठी	विशेष सचिव	कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन
5-	श्री ओम प्रकाश	विशेष सचिव	वन विभाग, उ0प्र0 शासन
6-	श्री महेन्द्र कुमार	विशेष सचिव	पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन
7-	डा0 हरीश चन्द्र	विशेष कार्याधिकारी (विशेष सचिव स्तर)	ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन
8-	श्री अखण्ड प्रताप सिंह	जिलाधिकारी	जिला प्रशासन, कौशाम्बी (विशेष आमंत्री/सदस्य)
9-	डा0 बी0के0 यादव,	प्रबन्ध निदेशक	उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल संघ लखनऊ (विशेष आमंत्री/सदस्य)
10-	श्री ज्ञान सिंह	निदेशक	कृषि, विभाग, उ0प्र0 (विशेष आमंत्री/सदस्य)
11-	डा0 राजेश वार्ष्णेय	निदेशक वाणिज्य	पशुपालन विभाग, उ0प्र0 (विशेष आमंत्री/सदस्य)
12-	श्री पी0सी0 चौधरी	वित्त नियंत्रक	नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन (विशेष आमंत्री/सदस्य)
13-	श्री सी0एल0 मनीकान्त	अपर प्रमुख, वन संरक्षक	वन विभाग, उ0प्र0 (विशेष आमंत्री/सदस्य)
14-	श्री दयाशंकर सिंह	संयुक्त सचिव	पशुधन विभाग, उ0प्र0 शासन (विशेष आमंत्री/सदस्य)
15-	श्री अमिताभ सेठ	सहायक आयुक्त	उद्योग विभाग, उ0प्र0 (विशेष आमंत्री/सदस्य)
16-	श्री नीलेश कुमार सिंह	अनु0 सचिव	चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन (विशेष आमंत्री/सदस्य)
17-	श्री अतुल चन्द्र शर्मा	उप महाप्रबन्धक	नाबार्ड (विशेष आमंत्री/सदस्य)
18-	श्री सुनील कुमार ओहटी	विशेष कार्याधिकारी/मुख्य रसायनविद	उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल संघ लखनऊ (विशेष आमंत्री/सदस्य)
19-	श्री प्रमोद कुमार उपाध्याय	उपायुक्त	गन्ना विकास विभाग, उ0प्र0 (विशेष आमंत्री/सदस्य)
20-	श्री पी0एस0 ओझा	राज्य समन्वयक/सदस्य संयोजक	उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड, उत्तर प्रदेश

30/9/16

(पी0 एस0 ओझा)
राज्य समन्वयक/सदस्य संयोजक।